



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256003
CG-DL-E-02082024-256003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2934]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/श्रावण 11, 1946

No. 2934]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/SHRAVANA 11, 1946

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

का.आ. 3075(अ).— सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् अधिसूचित किया जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) के अधीन पदाभिहित पोर्टल पर स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय केबल प्रचालकों के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए, हां/नहीं का उपयोग करते हुए, आधार अधिप्रमाणन के लिए अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करेगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.02/63/2017-डीएएस-खंड II]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2024

S.O. 3075(E).— In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Information and Broadcasting having been authorised by the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology, hereby notifies that the Ministry of Information and Broadcasting will carry out Aadhaar authentication for the purposes of verifying the identity of persons registering online as local cable operators under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), through designated portal on voluntary basis, using Yes / No authentication facility.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 02/63/2017-DAS-Vol II]

SANJIV SHANKAR, Jt. Secy.